

25 अक्टूबर

ईज ऑफ स्कूलिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को जारी किए दिशा-निर्देश 'दाखिला प्रॉसेस, फीस जमा ऑनलाइन हो'

Bhupender.Sharma
@timesofindia.com



File

**छात्र की यूनिक
आईडी होगी अहम**

■ नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के स्कूलों में फीस भुगतान की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब ईज ऑफ स्कूलिंग के तहत स्कूलों से कहा गया है कि दाखिले की प्रक्रिया, फीस और दूसरी भुगतान प्रक्रियाओं में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें।

मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने सभी राज्यों, NCERT, CBSE, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय समिति, टीचर एजुकेशन काउंसिल और राज्य बोर्डों को पत्र भेजा है। इसमें बताया गया है कि स्कूलों को एडमिशन और परीक्षा फीस जैसी सभी प्रक्रियाओं को नकद के बजाय डिजिटल माध्यम जैसे यूपीआई (UPI), मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग के जरिए

**NCERT,
CBSE
और सभी
स्कूलों को
निर्देश जारी**

करने की दिशा में काम करना चाहिए। अभिभावकों को सभी डिजिटल पेमेंट विकल्प उपलब्ध कराए जाएं।

पैरंट्स और स्कूलों

दोनों को फायदा: शिक्षा सचिव ने बताया कि डिजिटल पेमेंट से पैरंट्स को स्कूल जाकर फीस देने की इंडस्ट नहीं रहेगी। वे घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ही भुगतान कर सकेंगे। इससे स्कूलों

का हिसाब-किताब भी आसान होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। दिल्ली के एम.एम. पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा की प्रिंसिपल रुमा पाठक ने बताया कि उन्होंने पैरंट्स को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित किया है और इससे अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। वहीं, शिक्षाविद और वीएसपीके स्कूल एजुकेशन सोसायटी के चेयरमैन एस.के. गुप्ता ने कहा कि डिजिटल पेमेंट से स्कूलों में पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।

नए नियमों के मुताबिक, ऑनलाइन फीस जमा करते समय छात्र की यूनिक आईडी (APAAR ID) मुख्य पहचान होगी। इसके जरिए छात्र फीस या अन्य भुगतान आसानी से कर सकेंगे। सरकार पहले ही सरकारी स्कूलों में पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनें लगाने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा चुकी है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों से कहा है कि जहां संभव हो, फीस के लिए डिजिटल मोड अपनाएं। मंत्रालय का मानना है कि ईज ऑफ स्कूलिंग का मकसद बच्चों और माता-पिता के लिए शिक्षा से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाना है।